(3)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	मनीष जाजू बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार कुड़ी भगतासनी सू.अ.अ. अपील संख्या 429/2022
23-01-2023	अपीलार्थी मनीष जाजू पुत्र पुखराज जाजू, पता 104, शांतिप्रिय नगर नन्दनवन, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 05.09.. 2022 में (1)ग्राम कुडी भगतासनी खसरा नम्बर 100 की जमाबंदी संवत् 2048–2052 एवं 2052 से 2055 खतौनी श्री मोतीराम पुत्र कालूराम व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए ,लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार कुड़ी भगतासनी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 2005/2022/451 दिनांक 23.11.2022 सूचित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार कुड़ी भगतासनी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार कुड़ी भगतासनी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अपीलार्थी ने अपील में मुख्य कथन किया कि पूर्व में प्रारूप–एक 05.09.22 एवं 26.09.22 निरतारण न कर अलग से संकलित आवेदन की मांग अवैधानिक थी फिर भी प्रार्थी द्वारा 20.10.22 को आवेदन मेल व रजिस्ट्री से प्रस्तुत किये जाने के बावजूद वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाना व कार्यालय तहसीलदार कुडी भगतासनी जोधपुर के पत्र सू.अ.अधि. 2005/2022/451 दिनांक 23.11.22 से भी प्रार्थी को सूचनाएं उपलब्ध न कराकर मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाया जाकर सूचित करना कि 6 पृष्ठों में सूचना भेजी गई, सही नहीं है क्योंकि मेरे 2 आवेदन 2 पोस्टल आदेश एवं कार्यालय क अलग पत्रों को मेल पर अवश्य भेजे गये थे परन्तु वांछित सूचनाओं के दस्तावेज नहीं भेजे। अपील के संलग्न तहसीलदार कुड़ी भगतासनी का पत्रांक सूअअधि. 2005 / 2022/451 दिनांक 23.11.22 जो प्रार्थी को लिखा गया। उक्त पत्र में अपीलार्थी/प्रार्थी मनीष जाजू को जरिये पत्रांक सू.अ.अधि. 2005/2022/441 दिनांक 19.10.22 के जरिये छः पृष्ठों में सूचना (पटवारी हलका कुड़ी भगतासनी द्वारा उपलब्ध करवाया गया खसरा नम्बर 100, 100/3, 100/5 एवं 100/6 का नक्शा की प्रमाणित प्रति व ख.नं. 100, 100/3, 100/5 एवं 100/6 की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति) प्रेषित की गई है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी/प्रार्थी को उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 05.09. 22 में वर्णित सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है तथा अपीलार्थी/प्रार्थी ने अन्य प्रार्थना पत्र जो दिनांक 17.08.22, 26.09.2022 व 20.10.22 को प्रेषित किये गये उनके विरूद्ध संयुक्त रूप से उक्त अपील प्रस्तुत की गई वो पोषणीय नहीं होने से निरस्त योग्य है, जो निरस्त की जाती है। आदेश की संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।